न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–91 / 2007–08 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

बिहारी लाल पुत्र कीर्ति राम, निवासी– श्रीनगर रोड़, पौड़ी गढ़वाल

बनाम

पदमेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी–ग्राम पौड़ी, पट्टी नांदलस्यू, जिला पौड़ी गढ़वाल।

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, मा0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री वी0के0एस0 नेगी।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा निगरानी संख्या–06 वर्ष 2006–07 पदमेन्द्र सिंह बनाम बिहारीलाल में पारित आदेश दिनांक 15–07–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–

मौजा पौड़ी, पट्टी नादंलस्यू, परगना बारहस्यूं, जिला गढ़वाल के इबटसन बन्दोबस्ती मुन्ताखित खाता सं0 7 के खसरा नं0 3148 क्षेत्रफल 5 नाली 10 मुट्ठी भूमि पर उत्तरदाता पदमेन्द्र के पूर्वज उनहत्तर सिंह के नाम संक्रमणीय तथा कुत्ता पुत्र थूनी का नाम सिरतानी में दर्ज कागजात थी। बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान इस खसरा नम्बर के तीन नये नम्बर 3747, 3748, 3749 बनाकर कुत्ता पुत्र थूनी के पुत्रगण बली व गुंडी को वादग्रस्त भूमि पर संक्रमणीय अधिकार प्रदान करते हुए उनका खाता पृथक से 168 बनाया गया लेकिन त्रुटिवश उत्तरदाता के खाता सं0 111 से इन नम्बरों को हटाया / काटा नही गया। कालान्तर में वादग्रस्त भूमि का कुछ अंश बली व गुंडी ने विक्रय पत्र दिनांक 12–10–2007 से निगरानीकर्ता बिहारीलाल को विक्रय कर दी जिसका दाखिल खारिज भी खाता सं0 168 नया खाता सं0 213 में हो गया लेकिन इन नम्बरों का इन्द्राज खाता सं0 111 में भी चलता रहा। वर्ष 1988 में निगरानीकर्ता ने खाता सं0 111 से इन नम्बरों को निरस्त करने / हटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तत्काली सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, बारहस्यूं, पौड़ी गढ़वाल ने जांचोपरान्त यह कहते हुए कि वादग्रस्त भूमि दोनो खातों में दर्ज है जबकि मूल भूमिधर के खाता संख्या 111 से इन नम्बरों को नियमानुसार खारिज किया जाना चाहिए था किन्तु पटवारी द्वारा उक्त खसरा नम्बरों को भूमिधर के खाते से अलग नही किया

गया है। तद्नुसार आदेश दिनांक 05–05–1989 से वादग्रस्त नम्बरों को मूल भूमिधर के खाता संख्या 111 से खारिज करने के आदेश पारित किये। आदेश दिनांक 05–05–1989 के विरूद्ध उत्तरदाता पदमेन्द्र सिंह ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने यह कहते हुए कि विद्वान परगनाधिकारी ने दिनांक 05–05–1989 को जो आदेश पारित किया है उस कार्यवाही में पदमेन्द्र सिंह को पक्षकार नही बनाया गया है। वस्तुतः यह एक तकनीकी दोष है क्योंकि प्रतिपक्षी ने भी उक्त नम्बरान बैनामे के माध्यम से ही खरीदे थे परन्तु फिर भी विद्वान परगनाधिकारी को आदेश पारित करने से पूर्व यह अवश्य देख लेना चाहिए था कि तहसीलदार के द्वारा द्वितीय पक्ष को सुनवाई का अवसर भी दिया गया अथवा नही दिया गया। यदि तहसीलदार ने जांच कार्यवाही के दौरान विरूद्ध पक्ष को ऐसा अवसर नही दिया था तो परगनाधिकारी अपना आदेश पारित करने से पूर्व ऐसा नही कर सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नही किया जिससे वैधानिक प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण प्रतिपक्षी बिहारीलाल को अनुतोष प्राप्त नही हो सकता है जबकि अन्यथा वह ऐसा अनुतोष प्राप्त करने का पात्र था। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है और मा0 राजस्व परिषद से यह संस्तुति की जाती है कि वह विद्वान परगनाधिकारी का आदेश दिनांक 05–05–1989 निरस्त करने की कृपा करें।

इस संस्तुति को तत्कालीन मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के मा0 सदस्य न्यायिक ने अपने आदेश दिनांक 11–05–2000 से स्वीकार कर उत्तरदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निस्तारण हेतु परगनाधिकारी को प्रति प्रेषित किया है।

प्रकरण वापस प्राप्त होने के उपरान्त विद्वान परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बारहस्यूं, पौड़ी ने विधिवत पक्षकारों को सुनने के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 27–03–2006 से खाता सं0 111 से वादग्रस्त खसरा नम्बरों को खारिज करने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ने अपने निर्णयादेश दिनांक 15–01–2008 से स्वीकार कर विद्वान परगनाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी निदेशित है।

मैंने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया एवं उपलब्ध अभिलेखों का भली भांति अवलोकन/अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वर्ष 1936 से 1940 तक पौडी की तहसील में हुई इबटसन बन्दोबस्ती कार्यवाही में बन्दोबस्त अधिकारी ने कुत्ता मिस्त्री को खसरा नं0 3148 पर 'सिरतान दर्ज किया, सिरदार दर्ज नही किया, कि दिनांक 01–07–1952 से जब उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हुआ तो अधिनियम की धारा–4 के तहत प्रदेश के सभी जमींदारों की, खुदकाश्त भूमि को छोड़कर जो भूमि अन्यो के काश्त कब्जे में थी उस पर जमींदारों के स्वत्व के अधिकार समाप्त हो चुके थे व ऐसी सारी भूमि सराकर के अधीन निहित हो चुकी थी। जमींदार उनहत्तर सिंह व उसके वारिसों के भी उक्त खसरा नं0 3148 पर जो स्वत्व के

अधिकर थे वे सभी 01–07–1952 से समाप्त हो चुके थे, कि वर्ष 1960 से 1965 तक हाल बन्दोबस्ती कार्यवाही हुई तब बन्दोबस्त ने उक्त खसरा नं0 3148 को तीन खसरा नम्बरों 3747, 3748 एवं 3749 में विभक्त किया। चूंकि जमींदार उनहत्तर सिंह और उनके पुत्र तथा काश्तकार कुत्ता मिस्त्री की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए उक्त तीनों खसरा नम्बरों पर जमींदार के वारिस पोते पदमेन्द्र सिंह (प्रतिवादी) का नाम खातेदार तथा कुत्ता मिस्त्री के पुत्रों बल्ली और गुंडी को सिरतान में दर्ज कर दिया गया, कि वर्ष 1965 में बन्दोबस्त अधिकारी ने बल्ली व गुंडी को उक्त अधिनियम की धारा–128 के तहत उक्त तीनों खसरा नम्बरों की 5 नाली 10 मुटठी भूमि पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किया। इससे पूर्व प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया गया उसने कोई आपत्ति दर्ज नही की। उक्त कार्यवाही से प्रतिवादी पदमेन्द्र सिंह के उक्त तीनों खसरा नम्बरों पर जो पूर्व से स्वत्व के अधिकार थे वे समाप्त हो चुके थे, कि बन्दोबस्त अधिकारी के निर्देश पर तहसील, पौड़ी ने जिस पटवारी के माध्यम से बन्दोबस्ती कार्यवाही की अमल दरामदगी की उस पटवारी ने बल्ली व गुंडी की संक्रमणीय अधिकार वाली नई राजस्व खतौनी संख्या–168/213 तो सही खोली और उन्हें फसली वर्ष 1373 आवंटित भी सही किया (जिसकी पुष्टि तहसील के लोक सूचना अधिकारी के पत्र 06–12–2009 से भी होती है) लेकिन वह पटवारी उक्त तीनो खसरा नम्बरों को प्रतिवदी की खतौनी संख्या 111 से खारिज करना लिपिकीय त्रुटिवश भूल गया, कि विदित हो कि उक्त विभागीय त्रुटि का संज्ञान वर्ष 1965 से 1985 तक यानी 20 वर्ष तक तहसील के किसी भी अधिकारी ने नही लिया और यदि लिया भी होगा तो उसने मौन साधना उचित समझा क्योंकि यह मामला गरीब व भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों से जुड़ा था अन्यथा विभाग द्वारा अपनी यह त्रुटि खतौनियों के वार्षिक निरीक्षण के दौरान ही सुधारी जा चुकी होती, कि दिनांक 12–10–1970 को वादी ने उक्त बल्ली व गुंडी से खसरा नं0 3747 व 3748 की 3 नाली 9 गुठी भूमि को रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदा और उस पर कब्जा प्राप्त किया। तहसील से दाखिल खारित स्वीकृत हुआ और गुंडी की सहखातेदारी में वादी की नई खतौनी संख्या 142 खोली गई । इस खतौनी में भी पटवारी ने गलती से वादी के हक में 19 हिस्सों के बजाय केवल 16 हिस्से दर्ज किये। इस भूमि क्रय–विक्रय पर भी प्रतिवादी ने कोई आपत्ति दर्ज नही की, कि निगरानीकर्ता ने दिनांक 11–12–1985 को उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु आवेदन दिया परन्तु तहसीलदार द्वारा अभिलेखों के विपरीत दिनांक 11–02–1987 को एकपक्षीय रूप से निगरानीकर्ता के उक्त आवेदन को निरस्त कर दिया गया, कि जब कार्यवाही की कोई सूचना नही मिली तो वादी ने नये आये तीसरे तहसीलदार को दिनांक 22–04–1987 को दूसरा प्रार्थना पत्र दिया क्योंकि प्रार्थी पहले प्रार्थना पत्र के खारिज होने से अनभिज्ञ था एक अन्य बदरदुरूस्ती का प्रार्थना पत्र परगना अधिकारी को भी दिया, कि निगरानीकर्ता के शिकायती पत्र पर तथा तहसील से जांच करवाने के बाद परगनाधिकारी द्वारा अपने दिनांक 05–05–1989 के आदेश से विभाग की उक्त कलमी त्रुटि को स्वीकार कर खसरा नं0 3747, 3748 एवं 3749 को प्रतिवादी की खतौनी संख्या 111 से खारिज करवा दिया गया, कि

प्रतिवादी जानता था कि प्रश्नगत भूमि पर कानूनन उसके स्वत्व के अधिकार शून्य है तथा जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 266 के तहत वह बन्दोबस्ती कार्यवाही को चुनौती भी नही दे सकता है और धारा–199 के तहत बल्ली या गुंडी या वादी बिहारीलाल को प्रश्नगत भूमि से बेदखल भी नही करवा सकता है फिर भी उसने झूठ व प्रपंच के सहारे अपर आयुक्त के न्यायालय में यह आरोप लगाकर कि ''परगनाधिकारी ने उसे उस तरह सुनवाई का अवसर नही दिया जैसा तहसीलदार ने 1987 में दिया था'' एक अनाधिकृत और अविधिक अपील दायर की। अविधिक इसलिए क्योंकि वह उक्त सुनवाई का लाभ बन्दोबस्ती कार्यवाही के दौरान ले चुका था और बन्दोबस्ती कार्यवाही को वह चुनौती नही दे सकता था, कि अपर आयुक्त ने भी धारा–266 के विपरीत जाकर प्रतिवादी की अनाधिकृत अपील को स्वीकार किया तथा प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने की बाद ही अंतिम आदेश पारित करने की संस्तुति सहित मामले को 1991 में राजस्व परिषद, लखनऊ को भेजा, कि राजस्व परिषद, लखनऊ द्वारा मामले में 10 वर्ष की लम्बी कष्टप्रद सुनवाई के बाद अपर आयुक्त की संस्तुति पर अपने दिनांक 11–05–2000 के आदेश से परगनाधिकारी के दिनांक 05–05–1989 के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया, कि सहायक कलेक्टर ने 6 वर्षों की सुनवाई के दौरान तहसील से पुनः दूसरी जांच करवाकर राजस्व परिषद के निर्देशानुसार दिनांक 27–03–2006 के आदेश से मामले में अंतिम आदेश पारित करके प्रतिवादी की खतौनी सख्या 111 से खसरा नं0 3747, 3748 व 3749 को खारिज करने के आदेश तहसील को दिये लेकिन तहसील ने इसकी अमल दरामदगी आज तक नही की है जबकि ऐसा कोई विधिक आदेश तहसील के पास नही है जिसके कारण उक्त आदेश की अमल दरामदगी रोकी जा सकती थी, कि इस आदेश के विरूद्ध दूसरी बार अनाधिकृत अपील का प्रार्थना पत्र आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के न्यायालय में प्रस्तुत किया जबकि वह ऐसा नही कर सकता था। आयुक्त ने भी प्रतिवादी की अपील को अविधिक रूप से स्वीकार किया इसलिए सहायक कलेक्टर द्वारा पारित 27–03–2006 के आदेश को पुनर्जीवित किया जाना तथा आयुक्त के अविधिक आदेश दिनांक 15–07–2008 को न्यायहित में निरस्त होना आवश्यक है।

दूसरी ओर उत्तरदाता पदमेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में तर्क प्रस्तुत किये हैं कि मूल रूप भू0रा0अधि0 की धारा–33/39 का है जो कि बदरदुरूस्ती का मामला है, कि धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के प्राविधानों को देखें तो प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट होता है कि इस कार्यवाही को करने का अधिकार केवल राजस्व न्यायालयों तक सीमित है। प्रश्नगत प्रकरण को यदि देखा जाय तो निगरानीकर्ता द्वारा अपना आवेदन राजस्व न्यायालय में प्रस्तु न करके परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल को प्रस्तुत किया गया है ऐसी दशा में परगनाधिकारी को निगरानीकर्ता के उक्त प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेने एवं कार्यवाही हेतु अग्रसर होने को कोई भी कानूनी अधिकार हासिल नही है जिस कारण से विचारण न्यायालय की कार्यवाही एक दूषित कार्यवाही है जो कि स्थिर रहने योग्य नहीं है, कि प्रश्नगत मामले में विवादित सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रश्न विद्यमान है का मुख्य कारण

निगरानीकर्ता द्वारा मूल वाद में प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 12–10–1970 है जिसके तहत निगरानीकर्ता बलजीत, बलदेव से विवादित भूमि को क्रय किया जाना बताता है। वाद में निगरानीकर्ता के कथनों के हिसाब से ही बलदेव एवं बलजीत विवादित भूमि पर सिरतान/सिरदारी कब्जा रखते थे अब यहां पर प्रश्न यह खड़ा उठता है कि विक्रय की तारीख को उपरोक्त विक्रेतागण विवादित भूमि में क्या हैसियत रखते थे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उल्मूलन की धारा–131 इस बात को स्पष्ट करती है कि इन लोंगो को भूमिधर घोषित कर दिया गया, कि धारा–131 उ0प्र0जं0वि0अधि0 के तहत सिरतान/सिरदार को जो भूमिधर घोषित किया गया वह असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर था अर्थात् ऐसा भूमिधर जो कि भूमि का उपयोग एवं उपभोग अथवा काश्त तो कर सकता था किन्तु भूमि का अन्तरण नहीं कर सकता था फिर भी कथित विक्रय पत्र दिनांक 12–10–1970 के कथित विक्रेताओं द्वारा भूमि का अन्तरण दिखा दिया गया है, कि विक्रेता कानूनन असंक्राम्य अधिकारों वाला भूमिधर हो तो उसके वर्ष 1970 में विवादित भूमि की रजिस्ट्री कैसे कर दी गई? चूंकि अधिकारविहीन व्यक्ति के द्वारा निगरानीकर्ता के हक में की गई विक्रय की समस्त कार्यवाही आरम्भ से शून्य है जिसे कि कानूनन विक्रय संव्यवहार की कानूनी मान्यता नहीं दी सकती है, कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी ऐसे दस्तावेज एवं संव्यवहार को निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं होती है जो कि आरम्भ से ही शून्य होता है, कि मूल वाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त क्रयशुदा भूमि का दाखिल खारिज भी उसके नाम पर चल चुका है स्पष्ट करना है कि निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल खारिज की यह कार्यवाही बाला बाला करवाई गई जिसके सम्बन्ध में कोई भी पूर्व सूचना विपक्षी को नहीं दी गई। निःसंदेह यदि तत्समय विपक्षी को इसकी कोई भी सूचना प्राप्त होती तो विपक्षी द्वारा इसमें आपत्ति ही नहीं बल्कि घोर आपत्ति प्रस्तुत की जाती, कि विपक्षी विवादित भूमि का भू–अभिलेखों में काफी लम्बे अरसे से दर्ज स्वामी है तथा अपने स्वामित्व वाली भूमि पर अरसे दराज से काबिज चला आ रहा है, कि मात्र दाखिल खारिज निगरानीकर्ता के नाम हो जाने से निगरानीकर्ता को यह अनुतोष नहीं दिया जा सकता है कि विवादित खाते से विपक्षी का नाम खारिज कर दिया जा सकता है, कि धारा–33/39 भू0रा0अधि0 का कोई भी लाभ निगरानीकर्ता को नहीं दिया जा सकता है, कि जिस प्रविष्टि को खारिज करवाने हेतु निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में अर्न्तगत वाद दायर किया गया है वह इन्द्राजी एक दीर्घकालिक इन्द्राजी है तथा दीर्घकालिक इन्द्राजी को इस धारा के अधीन सही नहीं किया जा सकता है, कि निगरीनकर्ता जिस वाद का हवाला दे रहा है उस वाद का निर्णय ही प्रथम दृष्टया गलत था क्योंकि परगनाधिकारी द्वारा ही धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के वादी की सुनवाई की गई तथा परगनाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया जो कि वैसे ही स्थिर रहने योग्य नहीं था, कि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में विभागीय त्रुटियों एवं कार्यवाहियों का विवरण देकर अनावश्यक रूप से मौजूदा निगरानी में भटकाव अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर क्लिष्टिता पैदा की जा रही है जो कि न्याय के रास्ते में पूरी तरह से बाधक होगी, कि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा

अपने विस्तृत आदेश दिनांक 15–07–2006 द्वारा निरस्त कर दिया गया है वैसे भी यदि सहायक कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल के उक्त आदेश का अवलोकन किया जाय तो उनके द्वारा अपनी उपपत्ति (findings) कोई भी समग्र विवेचना मामले में प्रस्तुत अभिलेखीय प्रमाण एवं बयान के आधार पर नहीं की गई है, कि वह दस्तावेज जिसके आधार पर निगरानीकर्ता स्वयं को विवादित भूमि का स्वामी बता रहा है जब तक शून्य दस्तावेज है तो ऐसे दस्तावेज के आधार पर निगरानीकर्ता कैसे धारा–33/39 भू0रा0अधि0 का लाभ प्राप्त करना चाहता है तथा एक विपक्षी पदमेन्द्र सिंह जो कि वादग्रस्त भूमि के विधिपूर्ण स्वामी है तथा दर्ज भू–अभिलेख है का नाम कैसे खतौनी से हटाया जा सकता है। विद्वान आयुक्त का आदेश पूर्णतः विधिसंगत है जिसमें कि कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 3148 इबटसन बन्दोबस्त के मुन्ताखिब खतौनी खाता संख्या 7 में उत्तरदाता के पूर्व पुरूष उनहत्तर सिंह के नाम हिस्सेदार तथा कुत्ता पुत्र थूनी के नाम सिरतान के रूप में दर्ज थी। यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि हाल बन्दोबस्त के समय उक्त खसरा नं0 के तीन खसरा नम्बी 3747, 3748 व 3749 बनाकर बली, गुंडी पुत्रगण कुत्ता के नाम दर्ज कर पृथक से नया खाता संख्या 168 बनाया गया जिसमें मुददत काश्त या कब्जा साविक बन्दोबस्त या उससे पूर्व अंकित है। बन्दोबस्ती खतौनी के कालम संख्या 9 जिसमें सिरतान की दशा में मालगुजारी का विवरण है वह कालम रिक्त है आशय यह हुआ कि बली व गुंडी पुत्रगण कुत्ता वादग्रस्त भूमि के सिरतान नही थे बल्कि उन्हें बन्दोबस्त अथवा जमींदारी उन्मूलन की प्रक्रिया के दौरान संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित कर उनका खाता पृथक कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि वे सिरतान थे मान्य नही है।

निगरानी पत्रावली में प्रस्तुत ग्राम पौड़ी, पट्टी नादलस्यूं की दो खतौनी फसली वर्ष 1391–1396 प्रस्तुत हुई है जिसमें से एक खतौनी बिहारीलाल पुत्र कीर्तिराम व गुंडी पुत्र कुत्ता के नाम की है उसमें वादग्रस्त तीनों नम्बर है तथा यही तीनों नम्बर दूसरी खतौनी जो पदमेन्द्र सिंह व अन्यों के नाम की है उसमें भी दर्ज है।

वादग्रस्त खसरा नम्बरों के दोनो खतौनियों में दर्ज चले आना स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जिस किसी भी राजस्व प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बरों की बली व गुंडी पुत्रगण कुत्ता के नाम की नई खतौनी सख्या 168 बनाई है उसने त्रुटिवश मूल खातेदार के नाम की खतौनी से इन नम्बरों को खारिज नही किया है जो कि एक कलमी भूल व लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है तथा इस त्रुटि अथवा भूल को शुद्ध करना विशुद्ध रूप से राजस्व प्राधिकारियों का दायित्व है।

विद्वान आयुक्त ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 15–01–2008 से यह उल्लिखित किया है कि अवर न्यायालयों ने बन्दोबस्त के समय चली आ रही एक दीर्घकालीन प्रविष्टि को दुरूस्त किया है जबकि उक्त प्रविष्टि में स्वत्व का प्रश्न भी निहित है तथा पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चयन हुआ है जो धारा–33/39 के अन्तर्गत विधि की दृष्टि में

त्रुटियुक्त है लेकिन विद्वान आयुक्त यह नही समझ पाये कि अधिकारों का विनिश्चयन तो बन्दोबस्त के समय ही हो गया था और तद्नुसार ही वादग्रस्त खसरा नम्बरों की बली व गुंडी पुत्रगण कुत्ता के नाम नया खाता संख्या 168 बनाया गया है। जहां तक दीर्घकालीन प्रविष्टि का प्रश्न है तो यह त्रुटि बन्दोबस्त के पश्चात खाता संख्या 111 से इन खसरा नम्बरों को पृथक न किये जाने से है जिसे ठीक किये जाने हेतु वर्ष 1988 में निगरानीकर्ता द्वारा आवेदन किया गया है जो कि लगभग 20 वर्ष की अवधि होती है तथा इतनी दीर्घकालीन अवधि नही है, इसके पश्चात वादकालीन अवधि यथा प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि की गणना को भी इस अवधि में सम्मिलित करना न्यायोचित नही होगा।

विद्वान परगनाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 05–05–1989 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर ग्राम पौड़ी के खतौनी खाता संख्या 142 तथा 111 दोनो में दर्ज है। खतौनी खाता संख्या 111 भूमिधर का खाता है जिसमें उक्त नम्बरों को नियमानुसार खारिज किया जाना चाहिए था किन्तु पटवारी द्वारा उक्त नम्बरों को भूमिधर के खाते से अलग नही किया गया। तद्नुसार ही उन्होंने वादग्रस्त खसरा नम्बरों को खाता संख्या 111 से खारिज करने के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध जो निगरानी अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई उसे राजस्व परिषद को संदर्भित करने वाले विद्वान अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25–04–1991 में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि परगनाधिकारी को आदेश पारित करने से पूर्व द्वितीय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था उन्होंने ऐसा नही किया जिससे वैधानिक प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण प्रतिपक्षी बिहारीलाल को अनुतोष प्राप्त नही हो सकता है जबकि अन्यथा वह ऐसा अनुतोष प्राप्त करने का पात्र था, से भी स्पष्ट है कि विद्वान अपर आयुक्त ने भी निगरानीकर्ता को अनुतोष पाने का पात्र माना है लेकिन आदेश दिनांक 05–05–1989 के पारित करने में विधिक प्रक्रिया न अपनाने के दृष्टिगत ही राजस्व परिषद से इस आदेश को निरस्त करने तथा मूल खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही अंतिम आदेश पारित करने की संस्तुति की है। तत्समय दीर्घकालीन प्रविष्टि तथा प्रकरण का धारा–33/39 के अन्तर्गत पोषणीय न होने का कथन विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष नही प्रस्तुत हुआ है जबकि यह आदेश पक्षकारों को विधिवत सुनकर पारित किया गया है। तत्कालीन राजस्व पारिषद, उत्तर प्रदेश के समक्ष भी यह तथ्य नही प्रस्तुत हुआ है तथा प्रकरण पदमेन्द्र सिंह आदि को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रति प्रेषित किया गया है।

प्रकरण प्रति प्रेषण के उपरान्त विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, पौड़ी ने विधिवत पक्षकारों को सुनने के उपरान्त यह अवधारित करते हुए कि ग्राम पौड़ी के खेत नम्बर 3747 रकबा 2 नाली, खेत नं0 3748 रकबा 1.7/16 नाली तथा खेत नं0 3749 रकबा 2,1/16 ना0 कुल 5 ना0 10 मु0 भूमि में बलदेव व बलजीत उर्फ गुंडी पुत्रगण कुत्ता मिस्त्री बतौर सिरतान दर्ज थे तथा उक्त तीनों खेत नं0 भूमिधर के खाता नं0 111 में भी दर्ज थे। भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हो जाने से सभी सिरतान/सिरदार के

भूमिधर घोषित हो जाने से सिरदार जो कि अब भूमिधर घोषित हो चुका था के कब्जे की सभी खसरा नं0/रकबा मूल भूमिधर के खाते से अलग कर दिये गये थे परन्तु पटवारी द्वारा उक्त खसरा नम्बरों को भूमिधर के खाते से अलग नही किया गया। तद्नुसार ही उनके द्वारा खाता संख्या 111 से वादग्रस्त खसरा नम्बरों को खारिज करने के आदेश पारित किये गये हैं। जहां तक उत्तरदाता संख्या 1 विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत परगनाधिकारी को वाद की सुनवाई का अधिकार नही है तो इस सम्बन्ध में धारा–227 (4) (5क) भू0रा0अधि0 में स्पष्ट प्राविधानित है कि सहायक कलेक्टर धारा–33 के अन्तर्गत वार्षिक पंजिका में परिवर्तन कर सकता है तथा धारा–39 के अन्तर्गत जांच कर आवेदन का निस्तारण कर सकता है।

विद्वान आयुक्त ने अपील मात्र इस आधार पर स्वीकार की है कि आदेश दिनांक 27–03–2006 से बन्दोबस्त के समय से चली आ रही एक दीर्घकालीन प्रविष्टि को दुरूस्त किया है जबकि उक्त प्रविष्टि में स्वत्व का प्रश्न भी निहित है। उक्त आदेश से पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चयन हुआ है, से स्पष्ट है कि विद्वान आयुक्त यह मानते है कि आदेश दिनांक 27–03–2006 से एक दीर्घकालीन प्रविष्टि को दुरूस्त किया गया है जो कि राजस्व प्राधिकारियों का मूल कर्त्तव्य है। जहां तक उनका यह मत कि पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चयन हुआ है वह तर्कसंगत नही है क्योंकि पक्षकारों के हितों का विनिश्चयन तो बन्दोबस्त के समय ही हो गया था। तद्नुसार ही वादग्रस्त खसरा नम्बरों का कुत्ता के पुत्रगण बली व गुंडी के नाम पृथक खतौनी संख्या–168 बनाई गई, त्रुटि मात्र इतनी थी कि वादग्रस्त खसरा नं0 मूल खातेदार की खतौनी संख्या 111 से खारिज नही किये गये।

बन्दोबस्ती के समय वादग्रस्त नम्बरों की पृथक बनाई गई खतौनी के सम्बन्ध में उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नही की गई न ही अन्य सहखातेदारों द्वारा इस सम्बन्ध में किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है। कुत्ता के वारिसों द्वारा बिहारीलाल को जिस विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि विक्रय की गई है उस विक्रय पत्र को भी उत्तरदाता संख्या 1 व अन्य सहखातेदारों द्वारा भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है और न ही इस विक्रय पत्र के आधार पर निष्पादित नामान्तरण की कार्यवाही में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है।

तद्नुसार विद्वान आयुक्त का आदेश विधिक एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित है तथा अपास्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल का आक्षेपित आदेश दिनांक 15–07–2008 अपास्त कर विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, पौड़ी

द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–03–2006 की पुष्टि की जाती है तथा सहायक कलेक्टर, पौड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्राम पौड़ी के खाता संख्या 111 से वादग्रस्त खसरा नम्बरों को तत्काल खारिज करें। अवर न्यायालयों की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांकः 06/04/2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।